एलकेजी से लेकर १०वीं तक के

बच्चों ने किया पार्टिसिपेट

AGRA (7 Dec.) : सिकंदरा स्थित

सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल में गुरुवार

को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ.

कार्यक्रम में स्कुल के बच्चों द्धारा

शिक्षा और सांस्कृतिक समागम के

agra@inext.co.in

You're not lazy, you just have no purpose.@Mindset_Machine-

अंबेडकर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संस्थान एवं शारीरिक शिक्षा

AGRA (7 Dec.) : डॉ. भीमराव AGRA (7 Dec.): डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीटयुट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी में फिट इंडिया के तहत गुरुवार को स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभारंभ कुलपति प्रो. आशु रानी ने किया. पहले दिन इंजीनियरिंग छात्रों ने बैडमिंटन, चेस, लंबी कुंद सहित अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. प्रो. मन् प्रताप सिंह ने बताया कि विजेताओं को समारोह में सम्मानित किया जाएगा.



प्तार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

कार्यक्रम का शुभारंभ करते आर्चिबशप

धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव, रंगारंग कार्यक्रम

साथ जीवन रंगों की विभिन्न भावनाओं

के पहलुओं का मंचन किया गया.

कार्यक्रम का शभारंभ मोस्ट रेवरेंट

आर्च बिशप राफी मंजली स्कूल की

मैनेजर सिस्टर आइवी, प्रधानाचार्य

सिस्टर प्रिंसी ने किया. एलकेजी से

लेकर कक्षा 10 तक के छात्र एवं

छात्राओं के द्धारा सामूहिक प्रस्तुति दी

गई. कार्यक्रम का समापन ग्रेंड फिनाले

और राष्ट्रगान के साथ हुआ.

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - २२६०१०, भारत: दूरभाष. नंबरः ०५२२-३१७८५०;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर. इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**'छूट पत्र 3'')** और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**''छूट पत्र'')** और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इ<mark>विवटी शेयरों की डीलिस्टिंग)</mark> विनियम, 2021 (**''डीलिस्टिंग विनियम'') (''डीलिस्टिंग प्रस्ताव'' या ''डीलिस्टिंग ऑफर'') के प्रावधान।**

।. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार **('जीओआई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित उँवैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिग्रहण कार्य 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार,

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई. 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण ("आईपीए") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया

l.S. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (**शेवरों और अधिग्रहणां का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मुल्य न्युनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक ०९ फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

i. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

ii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंज़री के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पृष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम")**; के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास

53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

।.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53.48.226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणाँ		
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय		
जनसत्ता	हिंदी	खेल भारतीय		
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर		
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर		
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड		
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक		
संदेश	गुजराती	गुजरात		
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड		
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र		
पुण्यनगरी	मराठी	राष्ट्र		
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल		
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	iध्र प्रदेश + तेलंगाना		
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु		
केरल कौमडी	मलयालम	केरल		
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक		

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही. उसी पत्र के माध्यम से. एमएचआई ने कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के डिक्टरी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजरी दे दी 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनयमों के अनुसार निर्धारित मुल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी। 3. सेबी छट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/ CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। 3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट

तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनपालन करने की आवश्यकता होती है। 3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग बिनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को परा करती थी. हालांकि भगतान किया गया था। शेयर पंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनयमों के विनयम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया। 3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मुल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सुचित करता है और द्रीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमित मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजिनक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औद्यावर शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए: 3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेवरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग

के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें: और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण। 4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पृ	र्व	बाद में		
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00	
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00	
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00	
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00	

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्किटी शेयर बीएसई पर सुचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उत्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर स्वियू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर

2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है। 5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

यूनिवर्सिटी में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

विभाग में गुरुवार को छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया. डॉ. किरण कश्यप ने छात्रों को बेड टच और इस तरह के मामले में कार्रवाई की जानकारी दी. कुलपति प्रो. आशु रानी, प्रो. अचला आदि मौजूद रहे.

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजुरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशन्त्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की 6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR

है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **("एस्क्रो राशि")**। 7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एविसस बैंक लिमिटेड ("एस्**क्रो बैंक")** और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बेंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर

16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है। ८. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छूक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कृरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस्-े।, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात ऑफर अवधि का

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इविवटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्किटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों दारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इविवटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है

एस्क्रो खाते का नाम	स्कृटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्ट

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

i. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है। viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के राजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें। 8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः 8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने

की आवश्यकता होगीः

"स्कृटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" लिखा होगा।

. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं) ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत

करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूटे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए; iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं,

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना इस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। 8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती

है. तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। २ ३ १ जब सार्वजनिक शेरमधाकों की ओर से पावर ऑफ अरॉर्जी भारकों ("पीओए भारक") हार हेक्वरी शेरमों की पेशकश की जा रही है

के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लाग हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

יים אורים אין		
श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज	
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।	
निगमित	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गईं बोलियाँ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।	
संरक्षक	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की ऑतम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबंधित कर सकते हैं।



कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्म कैपिटल पाइवेट लिमिटेड डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435 वैधता अवधि: स्थायी



स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड

डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

निरंतर

१५ लाख की कर चोरी पकड़ी, जीएसटी ने की कार्रवार्ड

prayagraj@inext.co.in

NAINI(7 Dec): रीवा रोड पर मोटर पार्टस की एक दुकान पर गुरुवार दोपहर एसजीएसटी टीम ने छापा मारा.



हालांकि. अभी जांच चल रही है और यह कर चोरी अधिक भी हो सकती है. कार्रवाई के दौरान दो नंबर के कागजात मिले, जिसे सीज कर दिया गया है. यह से जांच के आदेश दिए गए. गुरुवार कार्रवाई मुख्यमंत्री से हुई शिकायत के दोपहर एसजीएसटी के उपायुक्त

बाद की गई. मुख्यमंत्री को किसी ने शिकायत पत्र आयुक्त राजेंद्र सिंह यादव, पीटीओ

पर दो नंबर के कागजात के माध्यम से सामान बेचा जा रहा है. लाखों की कर थे. स्टाक भी अधिक था. पूछताछ में चोरी हो रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय संजीव कुमार के नेतृत्व में सहायक दिया था. कहा गया था कि रीवा रोड राजेश सिंह आदि ने दुकान पर छापा

तो पता चला कि यह दो नंबर के पता चला कि मोटर पार्टस के सामान कागजातों की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली से लाया जा रहा था. दो नंबर ही यह स्पष्ट होगा कि कितने की कर के कागज पर यह सामान कैसे यहां तक चोरी की गई है. इसके अलावा यह भी पहुंच रहा था, इस बारे में भी अधिकारियों पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ने पूछताछ की. सभी कागजातों को नंबर दो का बिल कहां से कारोबारी सीज कर दिया. एसजीएसटी के को मिल रहा था.

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

तक करीब 15 लाख की कर चोरी पकड़े जाने का अनुमान है, लेकिन

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

PRAYAGRAJ: जिला न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित नवाबगंज के अलादापुर के अमरबाबू जायसवाल को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविकांत ने पीडिता के अधिवक्ता अभय कुमार द्विवेदी, विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी, विनय त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुनाया. अभियोजन के अनुसार, घटना पांच जून २०२१ की है. पीड़िता को आरोपित बहला-फुसलाकर भगा ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपित को गिरपतार कर लड़की को बरामद किया था. पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि आरोपित अमरबाबू मुझे नोएडा ले जाकर दुष्कर्म करता था. मना करने पर मारने की धमकी देता था. इस दौरान मेरे पेट में गर्भ भी था जो बाद में नष्ट हो गया.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (''छूट पत्र 3'') और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (''छूट पत्र'') और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इबिवटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 (''डीलिस्टिंग विनियम'') (''डीलिस्टिंग प्रस्ताव'' या ''डीलिस्टिंग ऑफर'') के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

।.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार **('जीओआई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित है. वेजिल के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है; 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार,

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इविवटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यवत करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इविवटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

ii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 ("लिस्टिंग विनियम"); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और

विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है। (बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले

53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में। 1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक

आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

ı	समाचार पत्र	भाषा	सस्करणी	Ш
	द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय	
ı	जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय	
	दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर	
ı	दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर	
	दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	
	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	
ı	संदेश	गुजराती	गुजरात	
	दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड	
	लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र	
ı	पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र	
	बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल	
	तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	
	हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु	
	केरल कौमडी	मलयालम	केरल	
ı	विजयवाणी	क्चद्रा	कर्नाटक	

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही. उसी पत्र के माध्यम से. एमएचआई ने कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के डिक्टरी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजरी दे दी 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिम्टिड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनयमों के अनुसार निर्धारित मुल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छट पत्र अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/

CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है: 3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइन्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम

सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। 3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम. 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग बिनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः 3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के

खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी। 3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मुल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सुचित करता है और

द्रीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरभारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

			·	
	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्किटी शेयर बीएसई पर सुचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5.1. छूट पत्र में उत्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्किटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर खिंचू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर,

2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है। 5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशन्त्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त् 24 मईं, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इविवटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(२) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की 6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **("एस्क्रो राशि")**। 7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एविसस बैंक लिमिटेड ("एस्**क्रो बैंक")** और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक

एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बेंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है। 8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः 8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छूक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कृरियर द्वारा (अपने

जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज

प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेसे-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात ऑफर अवधि का

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और 8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्किटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों दारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एस्क्रो खाते का नाम	स्कृटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जिनत पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के एबंधक से संपर्क करें।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉर्पी भी प्राप्त कर सकते हैं।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः i. मल शेयर प्रमाणपत्र(ओं)

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत

करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां); iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना इस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म। 8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्कृटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" लिखा होगा। 8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क,

ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार

ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं। 8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई

जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती

है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। २ ३ १ जब सार्वजनिक शेरमधाकों की ओर से पावर ऑफ अरॉर्जी भएकों ("पीओए भएक") हार हिक्तरी शेरमों की पेशकश की जा रही है। तो आवेरन एवं पर पीओए भएकों हार के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज		
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।		
निगमित	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।		
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गईं बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।		
संरक्षक	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।		

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की ऑतम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबंधित कर सकते हैं।



डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435 वैधता अवधि: स्थायी

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508



कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्टः, फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

अमित श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निरंतर

we honour the courage, commitment and sacrifices of our brave soldiers.@narendramodi-

फंदे से लटका मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

MEERGANJ (7 Dec): थाना क्षेत्र ससुर को हिरासत में लेकर कार्रवाई के लोगों ने 24 नवंबर 2020 को दोनों मां को इस बावत जानकारी दी थी, **हिरासत में पिता-पूत्र** के एक गांव में महिला का शव फंदे शुरू कर दी है. से लटका हुआ मिला. घटना की जानकारी पर उसके मायके वालों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया. पलिस ने जांच पडताल के बाद शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने उसकी

यह है आरोप

मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव कपूरपुर की रहने वाली बीनू देवी पत्नी सत्यवीर ने बताया कि उनकी बेटी रीगल और गांव का ही रहने वाला विकास राठौर के लिए प्रताड़ित करते थे. इस को मां की तहरीर पर पति सहित चार पुत्र गजेंद्र सिंह एक-दूसरे को पसंद लेकर उसके साथ मारपीट की जाती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पति और करते थे. इस को लेकर दोनों परिवारों

बाद ही दोनों में विवाद होने लगा. आरोप है कि पति विकास राठौर. देवर प्रद्युम्न राठौर, सास माया देवी और ससुर गजेंद्र सिंह उनकी बेटी को पांच लाख रुपए और बाइक

का विवाह करा दिया था. कुछ समय जिस पर मां माया देवी ने घर आकर ससुरालियों से बातचीत करने को कहा था. आरोप है कि इसी को लेकर सुबह उनकी बेटी की आरोपियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद वह शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे. अज्ञात की सूचना पर वह बेटी की ससुराल पहुंचीं तो उसका शव साडी थी. वेडनेसडे को बेटी ने फोन कर के फंदे से सहारे लटका हुआ था.

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतका के पति विकास और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी कारण कमरे में जाकर महिला ने सांडी के फंदे से लटकर सुसाइड कर लिया

खाद की कमी और दामों में वृद्धि पर विरोध BAREILLY (7 Dec): जिले में ने बताया कि अन्नदाताओं को खाद ने कहा कि डीएपी खाद की कमी के डीएपी खाद की कमी और खाद के और पानी आपर्ति संबंधी समस्याओं दामों में वृद्धि होने का आरोप लगाते हुए का सामना करना पड रहा है. इन दिनों डीएपी खाद की बेहद कमी है और इस महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध जताया. वजह से उसके दामों में वृद्धि हो गई है. किसानों की परेशानी का निस्तारण कराने इससे किसानों को अपनी फसल करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आर्थिक संकट का सामना करना

पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि डीएपी खाद

के मुल्य की वृद्धि को वापस लेने के साथ

दूर नहीं किया और मुल्य कम नहीं हा तो किसानों के हित में आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने जो वादे किये थे, उनको अब वह भूल चुकी है. कांग्रेस सरकार में किसान और आमजन ख़ुश थे. ज्ञापन देने वालों में असलम चौधरी, योगेश जौहरी, अनिल देव शर्मा, स्रेंद्र सोनकर, डा. सर्वत हसैन हाशमी आदि उपस्थित रहे.



सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर. इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छुट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छुट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**''छूट पत्र 3'')** और कोई भी भविष्य की खूट जो सेवी से प्राप्त हो सकती है (**''छूट पत्र'')** और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इविवटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**''डीलिस्टिंग विनियम'') (''डीलिस्टिंग प्रस्ताव'' या ''डीलिस्टिंग ऑफर'') के प्रावधान।**

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है; 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुवित के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन ९ के प्रावधानों के अनुसार,

अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉपॉरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया; 1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यवत करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण **(''आईपीए'')** की गई थी। लागू कानुन के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप अधिग्रहण) विनियमन, 2011 ("अधिग्रहण विनियम") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

i. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

ii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम")**; के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभति काननों के लाग प्रावधानों का अनपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास

53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं। 1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले

53,48,226 इक्विटी रोयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में। 1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक

आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

	समाचार पत्र	भाषा	संस्करणाँ	
	द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय	l II '
	जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय	
	दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्म् और श्रीनगर	
	दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर	
1	दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	
	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	
1	संदेश	गुजराती	गुजरात	
	दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड	1 .
	लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र	J .
1	पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र	Ш.
	बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल	
	तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	
1	हिन्दू	तामिल	तमिलनाड्	
	केरल कौमडी	मलयालम	केरल	
	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	1 II .

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजुरी दे दी। 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मुल्य के 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिम्टिड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्किटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है। 2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मुल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छुट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/ CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं: 3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समृह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइन्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट

तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(ँ) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिग्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया। 3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मुल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सुचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजिनक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए: 3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इकिवटी शेवरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेवरों की डीलिस्टिंग

के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पू	र्व	बाद में		
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00	
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00	
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00	
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00	

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्किटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर ग्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशन्ल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इविकटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ही उपलब्धता बढाई जाए. अजय शुक्ला

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के सेंदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसचित किया गया था।

ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी

मजिस्ट्रेट रेन सिंह को सौंपा. महानगर

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की 6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और जीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **(''एस्क्रो राशि'')**।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("एस्**रको बैंक**") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटसं इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः 8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने

जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का 8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों दारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्ट

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए iv. यह सनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर

के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए। v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य

इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाथाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के राजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इत्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगी:

i. मल शेयर प्रमाणपत्र(ओं):

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां); iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के राजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एके शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा

ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। 8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्कुटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं। 8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉपेरिट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई

जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमित की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमित जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेरमधाकों की ओर से पावर ऑफ अरॉर्जी भारकों ("पीओए भारक") हार हेक्वरी शेरमों की पेशकश की जा रही है के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी पदान की जानी चाहिए। यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज	
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्त्रीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।	
निगमित	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।	
संरक्षक	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्चों की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	

9. गतिविधि अनुसूची

<i>3</i> %	Г
विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की ऑतम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024
	विवरण प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया। कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि। निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि। ऑफर खुलने की तिथि ऑफर समापन तिथि अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।



डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Skyline

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97

ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

अमित श्रीवास्तव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निरंतर

उत्तराखंड की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक धरोहर अब होंगी सिलेबस का हिस्सा एससीईआरटी की टीम पाठ्यक्रम को भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम

अगले सेशन से छटी से लेकर आठवीं कक्षा में संचालित होगा नया सिलेबस

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (7 Dec): भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही उत्तराखंड की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक

एवं आध्यात्मिक धरोहर और घटनाएं, महान विभृतियां अब विद्यालयी पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनने जा रही हैं. उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध राजकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी विद्यालयों में अगले सत्र से यह पाठ्यक्रम छठी से आठवीं कक्षा में प्रारंभ होगा. राष्ट्रीय शिक्षा

अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. तैयार हो रही 'हमारी विरासत'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली को विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने को कहा गया है. प्रदेश की भाजपा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विशेष बल दे रही है. नई नीति के प्रावधान के अनसार

में सम्मिलित करने का निर्णय भी लिया जा चका है, पहले चरण में इसे छठी से आठवीं कक्षा तक लागू किया जाएगा. इस संबंध में 'हमारी विरासत' पुस्तक तैयार की जा रही है. पुस्तक में उत्तराखंड की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय महत्व की जानकारी रहेगी. पुस्तक में

्र भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रदेश की धरोहरों एवं महत्व से जुड़ी जानकारी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास सार्थक है. यह सरकार का अच्छा कदम है. पुस्तक का नाम 'हमारी विरासत' के स्थान पर हमारी ज्ञान संपदा या वैभव रखना उपयुक्त होगा.

डॉ. राम विनय सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी, डीएवी पीजी कॉलेज, देहराद्न

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजुरी दे दी है। शेयर करना।

महान विभृतियों, सैन्य पृष्ठभूमि प्रदर्शन करने वाले विशिष्ट जनों के बारे से जुड़े सेनानियों, साहित्यकारों. पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, विभिन्न में पंच प्रयागों, तीर्थ स्थलों एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट धरोहरों के साथ गौरवशाली इतिहास

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

अनुसार निर्धारित किया जाता है।

में विद्यार्थियों को बताया जाएगा. साथ

प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं होगा। 5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

लिए अकादिमक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक वंदना गर्ब्याल की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है. निदेशक वंदना गर्ब्याल का कहना है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सभी डायट के प्राचार्यों को अपने-अपने जिलों से जुड़ी जानकारी एकत्र करने

मिलेगी. सरकार ने पुस्तक निर्माण पर पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया व पाठयक्रम को अंतिम रूप देने के जा रहा है, शीघ्र की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला भी होगी. शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रदेश की समृद्धशाली धरोहरों के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है अगले शैक्षिक सत्र 2024-25 से यह पाठयक्रम प्रारंभ किया जाएगा.

प्तार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

नीति के दिशा-निर्देशों और प्रदेश

सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है

जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर. इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**'छूट पत्र 3'')** और कोई भी भविष्य की छूट जो सेवी से प्राप्त हो सकती है (**''छूट पत्र'')** और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इ<mark>विवटी शेयरों की डीलिस्टिंग)</mark> विनियम, 2021 (**''डीलिस्टिंग विनियम'') (''डीलिस्टिंग प्रस्ताव'' या ''डीलिस्टिंग ऑफर'') के प्रावधान।**

।. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार **('जीओओई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भूगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित सैचिन्छक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिग्रह एकरा 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार,

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई. 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इविवटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मुल्य न्युनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

i. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

i. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंज़री के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पृष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम")**; के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और

विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभृति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जुन. 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजुरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्किटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	के रल

कन्नडा 2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

कर्नाटक

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही. उसी पत्र के माध्यम से. एमएचआई ने कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के डिक्टरी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजरी दे दी 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पिल्तक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है। 2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्किटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनयमों के अनुसार निर्धारित मुल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/ CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं: 3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट

तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है। 3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम

सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनपालन करने की आवश्यकता होती है। 3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिग्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः 3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के

खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी। 3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मुल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सुचित करता है और द्रीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमित मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरभारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए: 3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग

के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें: और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मुल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हर

4.3. 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्किटी शेयर बीएसई पर सुचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उत्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिटिंफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर स्वियू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर

2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है। 5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबंधित कर सकते हैं।



हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435 वैधता अवधि: स्थायी

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत

Skyline

संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्टः, फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324 अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

अमित श्रीवास्तव

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निरंतर

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी 7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सुचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इविवटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के

है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **("एस्क्रो राशि")**। 7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एविसस बैंक लिमिटेड ("एस्**क्रो बैंक")** और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बेंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छूक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कृरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस्ने-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात ऑफर अवधि क

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्को खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्किटी शेयरों के इस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी जैसा कि यहां बताया गया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्किटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों दारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से. ऑफ-मार्केट मोड में. डीमैट एस्को खाते में स्थानांतरित करना होगा. जिसका विवरण इस प्रकार है

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्ट

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है. तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए। iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर

के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए। . इक्किटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्किटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

i. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है। viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्टार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉर्पी भी प्राप्त कर सकते हैं।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मल शेयर प्रमाणपत्र(ओं) ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत

"**स्कुटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**" लिखा होगा।

करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए; iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां); iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं,

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना इस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। 8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं। 8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉपेरिट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई

जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती

है. तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। 2.3.1 जब सार्वजनिक शेयरशास्त्रों की ओर से पावर ऑफ अर्टोर्नी शास्त्रों ("पीओप शास्त्र") हाग हक्तिरी शेयरों की पेशकश की जा रही है के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक पति भी पदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज	
व्यक्तिगत/एचयूएफ	 अावेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यू तैयार प्रिंट आउट)। 	
निगमित	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/केप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गईं बोलियाँ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।	
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉपेरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की ॲतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

Know your worth, even if it gets lonely.@JDaley-

घर में घुसे आठ चोर, ग्रामीणों ने पकड़ा दहेज हत्या के 2 आरोपित अरेस्ट_{कचरा} नहीं हटाया तो होगा एक्शन

दिवाली से पांच चोरियों को अंजाम दे चुके हैं चोर

JHANGHA: थाना क्षेत्र के जंगल गौरी नंबर एक गांव में बुधवार रात छत के रास्ते घर में घुसे आठ चोरों को ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों

कि दिवाली से अब तक पांच चोरियों कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और को चोरों ने अंजाम दिया है. पुलिस पूछताछ के आधार पर और जगह में भी एक महिला बच्चों के साथ सोई चोरियों का खुलासे में जुटी है. गांव थी. चोर दरवाजे बंद करने लगे तो निवासी रामजतन यादव ने बताया है महिला की नींद खुल गई और चोरों कि बुधवार रात करीब 2 बजे चोर घर को देखकर शोर मचाने लगी. घबराकर के पीछे के रास्ते से दिवाल फांदकर चोर छत के रास्ते कृदकर भागने लगे.

महिला को देखकर चोरों ने बाहर से भाग रहे एक चोर को पहचान लिया. बगल के कमरे में घुस गए. उस कमरे अंदर घुस गए. कमरे में सोती हुई लाइट जलने के कारण महिला ने

महिला ने चोर का नाम अपने परिजनों को बता दिया. इसके बाद जुटे ग्रामीण उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो आठ लोग छिपे मिले. ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पीआरबी पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

को दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या करके शव को समीप के नदी के पास ले जाकर जला दिया था. ग्राम सभा हरपर देकर बताया कि बेटी अनीता की शादी 7 जून 2022 को झंगहा के ग्राम हरपुर निवासी पिंटू यादव के साथ हुई थी. 29 नवंबर को सचना मिली कि अनीता को

JHANGHA: ग्राम हरपुर में विवाहिता उसके पति पिंटू यादव, अनिल, राहुल, निशा, रजवंती व परशुराम यादव ने मिलकर मारपीट कर उसकी हत्या कर शव को जंगल भुसवल गांवके समीप साहु मठिया थाना गौरी बाजार, देवरिया नदी के किनारे ले जाकर जला दिया है. निवासी सुभावती ने पुलिस को तहरीर मृतका की मां ने दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया था. गुरुवार को पुलिस ने पिंटू यादव और अनिल कुमार को बोहाबर पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

GORAKHPUR (7 Dec): शहर में मैरिज हाल, होटल, रिजार्ट में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. ऐसे में गीले, सूखे कचरा काफी मात्रा में निकल

रहा है. ऐसे में सभी को अपने परिसर में ही कचरे से निपटान की व्यवस्था करनी है लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं हो रहा है. अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन-

नगरीय के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों की ओर से उत्सर्जित कचरे का निपटान उसी परिसर में किया जाना है. किसी भी प्रकार का कचरा कार्यक्रम के उपरांत सडक अथव डस्टिबनों में न फेंका जाए. अगर प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है, तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.



स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध

CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("छूट पत्र 3") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है ("छूट पत्र") और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम") ("डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर") के प्रावधान। 1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर. इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/

1.2.भारत सरकार **('जीओआई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिग्रह तिक्या गया है; 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई. 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यवत करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इविवटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्य कंपनी सेक्रेटरी नियक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक ०९ फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

i. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

i. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम")**; के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और

विनियम 6 को छोडकर प्रतिभति काननों के लाग प्रावधानों का अनपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास

53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं। 1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्व्जनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले

53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में। 1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक

आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणीं	
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय	
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय	
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर	
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर	
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	
संदेश	गुजराती	गुजरात	
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड	
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र	
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र	
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल	
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु	
केरल कौमडी	मलयालम	केरल	
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही. उसी पत्र के माध्यम से. एमएचआई ने कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजरी दे दी। 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है। 2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटसं की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज

1.79% कारोबार हआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनयमों के अनुसार निर्धारित मुल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी। 3. सेबी छट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/

CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है: 3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट।

एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं: 3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइन्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी,

जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनयमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी। 3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इग्रदे, निकास मृल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सृचित करता है और द्रीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमित मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजिनक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औद्यावर शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए: 3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग

के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें: और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न 4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्किटी शेयर बीएसई पर सुचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर स्वियू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशन्त्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त् 24 मईं, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की 6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियम 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **("एस्क्रो राशि")**। 7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एविसस बैंक लिमिटेड ("एस्**क्रो बैंक")** और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बेंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर

16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है। 8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस्ने-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात ऑफर अवधि क 8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छूक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कृरियर द्वारा (अपने

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्किटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एस्क्रो खाते का नाम	स्कृटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमा

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर

के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए। . इक्किटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्किटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य

इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। ɪ डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉर्पी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के एबंधक से संपर्क करें। 8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मल शेयर प्रमाणपत्र(ओं)

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंका प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां); iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं,

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रिजस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। 8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्कृटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं। 8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉपेरिट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई

जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती

है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। २ ३ १ जब सार्वजनिक शेयाभारकों की ओर से पावर ऑफ अर्टोनी भारकों ("पीओप भारक") दारा हकियी शेयों की प्रेशकश की जा रही है. तो आवेटन पूर पर पीओप भारकों दारा हस्ता

के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक पति भी पदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है। 8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निप्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षारंत। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख	
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023	
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023	
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023	
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023	
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023	
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023	
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023	
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023	
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024	
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024	
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024	

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबंधित कर सकते हैं।



डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435 वैधता अवधि: स्थायी

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508



कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्टः, फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

निरंतर

नए साल से शुरू होगा सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर वर्क ११-१२ दिसंबर को इटरनेशनल काफ्रेंस

KANPUR (7 Dec): आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर के बाद अब नए साल से सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण शरू होगा. पहले फेज में चार करोड रुपये से मंदिर के सुंदरीकरण के साथ ही पार्किंग और आसपास का विकास के काम कराए जाएगा. इसके निर्माण के लिए 26 दिसंबर को टेंडर ओपन किया जाएगा है. जनवरी से काम



शुरू करने की तैयारी की जा रही है. सेकेंड फेज में भी चार करोड रुपये से फोरलेन रोड का निर्माण कराया

१०० फोर व्हीलर की पार्किंग की होगी व्यवस्था

काशी कॉरिडोर की तर्ज पर आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर परमट का निर्माण कराया जा रहा है. 70 प्रतिशत से ज्यादा काम हो चुका है. इसी कड़ी में सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर जाजमऊ का भी निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है. रास्ता चौड़ा करने के साथ ही मंदिर परिसर में सौ फोर व्हीलहर पार्क करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि रोड पर व्हीकल न खड़े हो और लोगों को जाम से निजात मिल सके. इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर सुंदरीकरण कराया जा रहा है. आधुनिक लाइटें और बैठने की व्यवस्था की जाएगी. भक्तों के पानी पीने के भी व्यवस्था होगी.

सेकेंड फेज में फोरलेन रोड

नगर आयक्त शिव शरणप्पा जीएन के आदेश पर जोन छह के एक्सईएन दिवाकर भास्कर ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए पहले फेज में चार करोड़ रूपये का खाका तैयार किया है. एक्सईएन ने बताया कि 26 दिसंबर को टेंडर है. सेकेंड फेज में जाजमऊ पलिस स्टेशन से दुर्गा मंदिर तक फोरलेन रोड का निर्माण और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी. पहले फेज का काम जनवरी के पहले पखवारे में शरू कर दिया जाएगा.

KANPUR (7 Dec): सीएसजेएमयू और एएसईएम (एशिया यूरोप मीट) की ओर से 11 और 12 दिसंबर को 'लाइफलांग लर्निंग हब सीएसजेएमय कैंपस, बियॉन्ड एजकेशन- इम्प्लीमेंटिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग इंडिया' विषय पर इंटरनेशनल कांफ्रेंस होगी. थर्सडे को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए प्रोवीसी प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि एएसईएम लाइफलांग लर्निंग का

यूरोपीय संघ और आसियान मेंबर हैं. उद्घाटन कांफ्रेंस के चीफ गेस्ट, हायर होंगे. यह कांफ्रेंस हाइब्रिड मोड पर है एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय, करेंगे. प्रोग्राम में एएसईएम अध्यक्ष, प्रो. सेमस ओ तुआमा, आयरलैंड पार्टिसिपेट्स ऑनलाइन मोड में लेक्चर देंगे.

एमओयू भी होगा

सीएसजेएमयू के बीच एक एमओयू मौजूद रहे.

फैकल्टी एक्सचेंज समेत कई काम इसलिए डेनमार्क, आयरलैंड, युरोपीय संघ और भारत के अन्य राज्यों के

शामिल होंगे. प्रेस कांफ्रेंस में प्रो. संदीप सिंह, प्रो अंशु यादव, डॉ. प्रशांत, डॉ. विशाल एएसईएम एलएलएल हब और शर्मो और डॉ. अभिषेक मिश्रा आदि



ESOPHERIONE LAWN, EXPLICACE, PROPERTY, CONTRACT, PROPERTY SERVICE - ESANGO, FOR SPICE FOR ARXIVE EXTRACO

as the could be the control of the control of the state of the control of the con tions district it and description or programs in the control of the part of districted for a control transport of the program of the control transport of the part of the part

White she should

 diament (State Spine) is since 114 super section insured it involves your till glad threath in the Logic (State Spine) and 11 straight (State Spine) and 12 straight (State Spine). and printed an electrical large in male.

a regression ("Brance"), "and intercasing additional countries, for any production, there is sent a country of extending countries of the contract countries. I will have a great from some an experience or the state for an fill and reliable. The state of A and it was an interior (face) "depoil"), of whice absence in observed an earlier offsee district is be, observed in it. A communication in the observed in t a signs and hands of the east bloods to it before here, yet has the other of a view to open it. Other blood (Other history) is need to a yet, the end of the other blood of the end of the

to dispress that it doubt here as it was break that the state of the s WHEN A TRANSPORT OF THE PARTY WHEN THE PARTY TO

at the extending the district friend in february to exact the input. Disputed in fact, the part of femous particular record in the part of a report of the particular record in the part of the particular record in the particular record re right; it is, it is, agree any amount of the common amount of great against several and make our resource

Language and the light of the language from the first of the first of the language and the

colored in district, below to deleter in proc. In a Color about a temper, the plant about this at the time that the part beautiful to proceed the color about th

s, as other should not be reported, such colors for influenced print the subsequence or influence between professional printing and subsequence of the report of the subsequence of the Milatini foliase of the agent of the first test on the representation of the section of the sect or set 3 May such most now stig set lived usined transactivities at held their

· 阿拉拉拉拉克阿拉拉拉 / 艾克斯拉拉

Living south lighted that distributed and only between the standard and profit in the

p. Object this and all one other has the or, as higher hand a final a firm our right fit in the higher and the firm it is an even the contract of the contract is written formed at high is the following in over a plant time, will highly at the

and production the production and appear of the state of the second states and the second states and the second states are states as the second states are states are states as the second states are states are states as the second states are states as the second states are states as the second states are states are states are states are states as the second states are s

tion , it store shap-and it me mind in agree and it. If a solution of refere following following a party in party following the

It's makes places and a temporal size it's

cons. End it as any local at these May also Californ come at artists recognised costs ingo street his necessition as also not not

- project place through the short of the residence of the state of the

1.15, pp softation deep of this is upon a diagnost to implicate participate first upon it to design on the example of the order and first or include property in the 医水溶液性动物 医甲甲酚 医甲酚酚 医甲状状腺 经收益 网络水杨醇

(i), there's again, inflammed with the solution deniened denient all trips any in second with it with the case, can place from the other passer sect it, suplinger follow in seption it.

1.3. Wer to see, Strebunding to send of who the strebunds had about 40 per control to the board was ranke to all a fine-seed for white orders of published a dress to obtain the first three board.

[4], 安徽城市 (86), 宋], 宋代 (2008年8月6日年8月6日年8月8日年8日 (86)

Charles Sec.	1000	Market Company of the	
1 approximate	400	utge teds.	
420	197	John John	
The labeling	68	26V & SEC	
the man	1.0	##C550.000	
Sik yets	160	Top or All All Company	
10000	465	letts	
- Alle	200	The second secon	
76 96	100	365 ACCRESS, STREET, RIVELTING TOTAL PRINT CO. THE - STREET	
189800	100	Section 1. Control of the control of	
7656	100	200	
Appli	3466	mary	
	704	380 M - 1944	
16	30%	2003	
No feet	direction .	346	
6598	100	570	

, sendar danders to differender stops

\$500 whole both Shapes I Wilderson A Dr. bendard on a 1950 for \$

is release, all also area ("longuage"), of References by the of through a little in cost, and and discount it store closest situated about

or on K. of an harmonic support the effective over their countries to write and does begin in tool to find their of debter and the second trained to be a debter as debter as 22. 100 (100), 100 (100)

the contract per trap region of and it is part and obtain the off are part to remain the agent and a debut ment.

 aph one test to got give on a so with at one, thereby have no what but the before and a positive or any it devices the page. I had to their agreement on the first design the regions of contract their agreements and the contract their agreements are contracted to the contract their agreements and the contract their agreements and their agreements are a contracted to the contract their agreements are a contracted to their agreements are a contracted to their agreements are a contracted to the contracted to their agreements are a contracted to their agreements are a contracted to their agreements are a contracted to the contracted to th

A sile gentle o stati test al alter event testige, under 1990's control at 2000's based in 2000's based on 1990's grow to 600 and from a name of 600. 1 THE WORLD

ideathed priving 64 spacears.

10. Bit is not seen to a construction of the construction of the property of t and the standard extension accordingly to the continue of the standard the standard to be standard to be supported to the standard to be supported to the support of the standard to be supported to the support of the standard to be supported to the standard to the standa

CALCURATE MAN, NO REPORT COMMISSION PROTECTION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

THE WINDSHOP SELECTION OF THE PROPERTY OF THE RESIDENCE AND ADMINISTRAL PROPERTY OF THE PROPER

(1) contribution, contribute a engineral fact from the size above the size are set feel and a normal set profession upon

MONTHS SENSE WARRANCE A SERVICE OF GROWING STATE. cross, afterweight a shallend fideling weakling filling coming billings in the

LAND REPORTED FROM THE STATE OF and participations, also exist in fact recovering that not of it disclosificated for other courses; it is exceeded, when you and pay may see that up in this case where it is

A STATE OF S

1.12 appropriates a particular of a security = 11 appear relational colorests during a compression to particular properties. The colorests is the compression of the color of

5.14, which drowed is artificious and it gr. 4 contraction to all our grid of understood at each facilities of A 2011

hours, obspections it began less byte chief which at which you man, where ground any properties are point which there is been a commenced in are of Accepted Profile your profiles of Art.

1-44.5 despitation for Note Sealing free plants of the region and the original control areas are not pay, their growth as making an area growth for the CORNEL IN VALUE OF THE TANK TANK TO SHAPE SPACE. A 1 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

A SERVICE OFFICE AND SHOPE OF THE WAY AND ADDRESS WAY.

1944 and great from an efficiency for the reservoir conductable constraints of the particle common parties on factors (Analysis of the conductable constraints). and reliably they also as and also should all a list than the

construction absence it as seed, as placed hits solds arrest to after give 1 at a seriety. CALLY THERE AND IN THE ABOUT THE THERE WERE AN EAST PART FOR THE SERVICE THESE REPORTS AND AN ARRANGE THE ABOUT THE SERVICE AND AN ARRANGE THE ABOUT THE SERVICE AND AN ARRANGE THE ABOUT THE SERVICE AND AN ARRANGE THE ABOUT THE

is not it moved because it also say from the posterior was only if the public has printed \$13,430, for britished browners distings sever without shadows after

1 1415 Schoolstein Biologisch fest Hoperal Dei Starspelor in Stafffen ungenomitige were bille natio has repr schold tiple ibre timetels down trick, &

a spoil of when the artifactific and entere of department but CONTRACTOR AS NAMED A

			40.0	
7000	RODAL	9.0	345 65400	
of troops one	4243439	607	1,703,208	010
or profes others (1)	0.7924.009	79.0	8.03.0340	Skrip
pe regular develop (VE)	Every	7.64	- 79	100
10.00(中央)	distribution	460	4000000	100.00

as distributed on particular to assume distribute dead or other times at a distributed in order from the filter of a filter of the contraction. manual about the nights from the first serings on a transact putings are still

CLAST CONSIDERATE SPECIAL CONTRACT OF THE WASTERN SET WITH THE SPECIAL CONTRACT OF A SPECIAL CONTRACT OF THE SPECIAL CONTRACT If the part of the same is not be seen

CONTROL PRODUCT VIOLENCE VIOLENCE VIOLENCE ACCUMUNATE A STATE OF THE PRODUCT VIOLENCE VIOLENCE ACCURATE A THE RESIDENCE VIOLENCE VIOLENCE

and the region of the present the president of the presid and the street of the release to make other places to the second and the set agreement, who was a great transport of the second agreement. to and the formation the territory in provide although the page of the face are a

a rate is suit all habitum the abit discovable and being little about make loss of the is one had below beinged of gle his one is not for about operation of the four-instances are sport to service part does not become failed about professional color or the first of failed to fiftee and the first of the first of failed to fiftee and the first of the first of failed to fiftee and the first of the first of failed to fiftee and the first of failed to fiftee and the first of failed to fiftee and the first of failed to find the first of failed to failed to

(i) and come district Mark is Marco (i.e.) if come is things for early of a larger, its minima toward is extended, the proof and a climate growth or come is seen in results or all also (i.e.) and its proof is the special or a substitute of the common of the common

and the second section for the last to the first contact the section of the section for the second section of s, an auditions, he silver standards

ALL AND THE RESPONSE ARROPMENT OF PRODUCE AND PRODUCED THE PRODUCED STORE WHEN A SHOPP AND A SHOPP A SHOPP AND A S

y head hair op fitzern der heet voor selle Collective behalf in extraordinary of phase for subsections prove provide and parts of section for subsectional management or subsection page.

If it is a subject to the property of the contract of the cont 1. Problem Minds de ny récis report, observed, place de Printe ("applian"). As nove à ressur à proper page de production front de la Problem de médical à res. and made specify and the attempts around report from their states around words. In our displacement displacement is a recommendated and the second of the contract of the cont

s. Envelorages also is plant, the rear war were semiliar, increased to the pillings, planting allows at very plant control object of plant.

an Thaiffeinnan da Taiffein agus i na dha ainmea, a ailtir a da Carl pholaig tha angail, ni Grenois a' bhlai sa phpi na ainte dar a gir alles de reviet habiles active para d'abbait e l'apoi (les hills à d'Abbaile) des ex ells de payés au Mills de grait autre na Bear d'Ats mine filled and it is a met that, when define in this interest is anything the contract the contract of the co

人名英格兰 医克里氏性 医多次性性 医皮肤 网络克拉拉克 医皮肤病 医皮肤病 医红斑病

consider material of Michael Annual Annual Regions of the first of the Annual Physicist appropriate advantage and regions in

y dry digitiery when it in the copy of conception provided it. Allow its for your guite it doubt the council of the release the release that was it. It is also assume that you was it the service of the release that the release the release that the release th at experient housest up when to the wide.

a, beliefer benned at pret folglenging placebash of anti-sellar light type of a placeby specific discusses at 4 months were be found from an insect.

190100-000	An district State
5255	Inter Health's Schoolstein, Constant
Softed Vital Inchi	Mark Str. Prof Str. C.
Grid wild a test well a	and properties.
ETT IS ADDITION	NAMES OF

approach to the pair protect after the districting cours. Nothing up place and all the page and it has part illustrated a distriction many for course

a. As an included allow find their selection of player and I is the behalf of a south I are trained in the court diago above the war done to least it, need to rection about the distribution red refer

as gifting an example a property to text \$ 50 pert \$50 pert \$400 for account \$1,000 per and \$1,0 taki pota a malikuro

And the PR, painter from a chart were in miles bound that all properties at the Street And A hab 6 set, beginning at the sale. In comme MERCEN AND PROPERTY WAS ADDRESSED TO THE RESIDENCE OF THE SECTION . Wildow and it that perform beneathed highways pill for that type plant it became in a pull or discussion in William to Administration in the Committee of the

all otherwise year too leg bedye global.

2. Miletin star in provides by the miletin in the objectives, yet sknowled type at our injurity and about in provide ton units. and the contribute decrease of the first contribute and the contribute and the contribute of the contr above above deeper of league and accompany to the first trade in heavy conand the state of the page in the other is not always and a present and a

Where he field that is for your should be that the continuent in your fill for the integral of that where we had not interest.

 Observed plant one put and pointing decreasing of the AND THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

All representations gratuation at

a. No ha presi del al promity al plane en ultramativ ha rea El coli, sel chipo termet un politico d'un activi un titigo sepremaria, egue cultiga error the very making to be been through a Log cown mad it as, all through mad its own at the former print in mile to the com-

months forget staff player and traver Continuence and it from all desir.

when excellence angle year verifies because proposed if only who are required if verifies E year and Encode if it who then regist.

, and do consider to the contract and a solid states (and foreigns) against order and inches the local contract or subject order, and an experience of the contract of the con

at their versions Medica about medical based in the model for an about 40 mages, who must ador, attended adject through a femous a desire office

right group bytes- advance since they are

ALC: After the figure for subset is easy and control of the first standard for the resident of the part service in the last of the resident of the control of the resident of do nel di sigli untal Lucer is del dis della alculata dago dell'editta annolat per sigli in controvali, nera la disperdicabili ague March No. Cold fire alles at 2 de pueble. \$455 (ACM) (ACM) SECTOR SECTOR

4. De State Committee and the fact of self-of each state of security and a security of the contribution of the security of the BOTO AND TO ANOTHER TO LIKE SPACE THE SEARCH THE WASHING TO

173, not writte down a different of the times interprise and out unique expensions. Notice in Morein agreement; set set it, second she absent part for all Margin all size. Moreov all tel selt authorized all tax dil select 4 me signification Live plant towards per princip deliver dearers not involved by a policy in the spiral at most discovered allowed policy and what any time of dearer

 If affectively a record with the registrate product in the property of the first conduct with samelijak dan birasa saba sahili a

Any Charles was see, split show at an expellent rate, all others and split up indicate inflation an entire enter at the 3.4 while directly upon the approximation, Apply 19 delps some send

	report of description
- open traje	Looks on Green verger abording frameway processors. 2.540-2 septembly develope frameway abording the school processor is used in their to perform directly be facility to perform the facility and in their section.
	I calle us bleve regal after phase relative personnel of self-moving thins attacht. - shall a parties of place is in both automated better backerships of single a ser the non-literist about a contract to said the state. - shall a state of the said of the s
on an art. San a reacting the sect.	Lister of New Architecture property. These finets brief or for self-or when structure is proved if the transport fine Scool (1984) are not proved in the self-or self-or architecture in the self-or self-or architecture in the self-or self
7	A select the Manner of the companies of the control


contract appearance of the contract of the con	
The Control of the Co	tpr de utup
Total extension:	99.1/9/20
with the expeditor and a special analytic or	per infiliati
and a despited yor distant year of right is the manufactor that	997.9856.001
food trillates inglescensorial drifts 1895 NAV accessment to be delicensorial temperature even	State an age of the
tolk free a re-demonstration to the feet constraint automorphic enter-	per or how you
period (April 1 and April	Speec Street policies the offers when produces
poperation and adjustments	term terminal
ma got et ek	wint of the pain.
after laministry	SPC1 HESE.
Magned yer half it reven utbellight of other total	terco-decar-
Overlance line-for life	destructions

six and proved your highest first annual all deep to a pay containings more tasks to (1) May be be too to be a second to the second of the seco

graffic, model in real maked on all reviews of filled to stop in our other made.

to exercise about to 1. Appear without to function text for

the R As the Park on the Asset Resear, Bernell, Bull on their sense, and the improper plan accompanies appropriate that it is a common the common part of the common At closes assumed for the stock body of the state of the



the property of a stand of the last military security and process of the second Mary Service



subsprogifier sittings; title: the contraction of the ballion of the contraction of BEING FORMAN BLOCK SELECTION OF SHARE The state of the Contract of t

- 持ちを持ちをようなとしてはない。

COMPANY DESCRIPTION OF THE

AND RESIDEN 1000

distributed.

and indicated any states and for the product is already what if you different where you go on the following your and the control of the contr

shifty shannon little to see the banks

OR ARROW COST INCIDENT ALAND saffic sand date a horse painted over a

सड़क हादसों में खत्म हो गईं चार जिंदगियां

SHOCKING

डंपर ने छात्र को शैंदा, ट्रैक्टर

ने साइकिल सवार को ठोंका

BARABANKI (7 Dec): अलग-

अलग स्थानों पर गुरुवार भोर हुए हो गया.कोतवाली के शोभापुर गांव

सड़क हादसों में कक्षा 11 के छात्र निवासी दिनेश कुमार का बेटा नीरज ट्रैक्टर की टक्कर से जौत सहित तीन लोगों की मौत हो गई. साइकिल सवार छात्र को डंपर रौंदते निकल गया. बाइक सवार को अज्ञात टक्कर से साइकिल सवार ने दम तोड़ा. वहीं, एक हादसे में जीजा की मौत हो गई और साल बुरी तरह जख्मी

समेरगंज सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 11 का छात्र था. गुरुवार सुबह वह साइकिल से स्कूल जा रहा था. वाहन ने टक्कर मारी. ट्रैक्टर की बेल्हा में नहर के पास रोड किनारे खड़े डंपर के चालक ने अचानक डंपर का दरवाजा खोल दिया. जिससे टकराकर वह गिर गया और पीछे से आए दूसरे डंपर ने उसे रौंद दिया.

कोतवाली नगर के आवास विकास कालोनी निवासी अखिलेश मौर्य ग्राम भटेहटा स्थित गणपित फैक्ट्री में काम करते थे. गुरुवार सुबह वह साइकिल से फैक्ट्री जा रहे थे. भटेहटा गांव के मोड़ पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मारी. सीएचसी देवा में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

अज्ञात वाहन ने ली जान

कोठी थाना के ग्राम मिर्जापुर निवासी पंकज कुमार वर्मा अहिरनपुरवा गांव में गुरुवार सुबह एक अंतिम संस्कार में शामिल होने बाइक से जा रहे थे. वह जैदपुर-भानमऊ संपर्क मार्ग स्थित शराब ठेके के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई. वहीं, रामनगर निवासी डा. मंगली प्रसाद शुक्ल व उनके साले ओंकार त्रिवेदी बुधवार रात बाइक से शादी में गए थे. लौटते समय रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में मंगली प्रसाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

दारोगा की पत्नी को लूटने वाले अरेस्ट

से लूट करने वाले दो आरोपितों को लेकर निकलने वाली महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है. इनके पास से लूट विशाना बनाते थे. दोनों ने पूछताछ में के 50 हजार रुपए, दो मोबाइल व एक बाइक मिली है. आरोपित लखनऊ, रायबरेली संग पांच से अधिक जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.डीसीपी दक्षिणी विनीत जायसवाल ने बताया कि पकडे गए आरोपित गंज निवासी



सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("छूट पत्र 3") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है ("छूट पत्र") और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इविवटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम") ("डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर") के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

।.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार **('जीओआई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित है. वेजिल के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है; 1.3. तदनसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रार्वधानों के अनुसार,

अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया 1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इविवटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यवत करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इविवटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक ०९ फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

ii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंज़री के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पृष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 ("लिस्टिंग विनियम"); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और

विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभृति कानुनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है। (बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्व्जनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

	समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों	i II
	द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय	i II
	जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय	
1	दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर	
1	दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर	
1	दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	
1	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	
1	संदेश	गुजराती	गुजरात	
1	दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड	
1	लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र	
1	पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र	
1	बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल	
1	तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	
1	हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु	
	केरल कौमडी	मलयालम	केरल	
	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	i

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही. उसी पत्र के माध्यम से. एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के डिक्टरी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजरी दे दी। 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मुल्य के 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटसं की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पिक्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिम्प्टिड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्किटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी। 3. सेबी छट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/ CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम

सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनपालन करने की आवश्यकता होती है। 3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम. 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग बिनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पुरा करती थी. हालांकि भगतान किया गया था। शेयर पंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनयमों के विनयम 35(1) के तहत निर्देष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया। 3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मुल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सुचित करता है और द्रीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमित मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मुल्य का औद्यावय शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बृक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इकिवटी शेवरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें: और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न 4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

<u></u>				
	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्किटी शेयर बीएसई पर सुचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर खिंचू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

सचिन नायर व मुकेश सोनकर हैं.

MOHANLALGANJ (7 Dec): सचिन बैंक के अंदर और मुकेश बैंव मोहनलालगंज में दारोगा की पत्नी के बाहर रेकी करता था. वहां से नगदी बताया एक दिसंबर को मोहनलालगंज कस्बे में एसबीआइ बैंक में सचिन बैंक के अंदर मौजूद था. तभी दारोगा की पत्नी नीतू सिंह ने रुपये निकाल कर बैग में रखा और बाहर निकली थी जिस पर उनका पीछा कर बैग लुट कर फरार हो गए थे.

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशन्त्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इविवटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की 6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियम 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **("एस्क्रो राशि")**।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एविसस बैंक लिमिटेड ("एस्**क्रो बैंक")** और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है। 8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्किटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्किटी शेयर देने के इच्छक हैं. उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कृरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस्-।, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात ऑफर अवधि का

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्किटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों दारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एस्क्रो खाते का नाम	स्कृटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए। v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य

इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। t डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्टार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉर्पी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें। 8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मल शेयर प्रमाणपत्र(ओं)

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं; v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना इस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। 8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से

"स्कुटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" लिखा होगा। 8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉपेरिट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती

है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। २ १ १ जब सार्वजिक श्रेयभाकों की श्रोप से पाना ऑफ अरॉर्नी भाकों ("पीश्रोप भारक") हाम हेक्का श्रोयों की पेशकश की जा रही है. तो शावेदन पूत्र पर पीश्रोप भारकों हाम हस्ताक्ष्म किए जाएंगे। हसके अलावा के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लाग हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

5.4. सावजानक रायरवारका स अनुराव है कि व आवदन पत्र के साथ, जेसा लागू हो, नाच अल्लाखत दस्तावर्ष जेमा करः			
	श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज	
	व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।	
	निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।	
	पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गईं बोलियाँ	1.आवंदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।	
	संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3 कॉर्पिट पाधिकरण / बोर्ड संकल्प।	

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख	
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023	
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023	
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023	
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023	
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023	
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023	
प्रस्ताव पत्र भेजने की ऑतम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023	
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023	
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024	
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024	
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024	

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबंधित कर सकते हैं।



कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्म कैपिटल पाइवेट लिमिटेड डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्टः, फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com

Skyline Skyline

सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अमित श्रीवास्तव

निरंतर

वैधता अवधिः स्थायी

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Being incredibly loyal to people that hurt you over and over again.@Theholisticpsyc आवारा पशु से टकराई बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल वर्चस्व को लेकर स्टूडेंट्स के दो

राहगीरों ने घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया

SARDHANA (7 Dec, JNN): सड़को पर घूम रहे आवारा पशु आए दिन हादसों का कारण बन रहे है.

गुरुवार को क्षेत्र के मिंढयाई गांव के

युवक को उपचार के लिए निजी आ गया. जबतक बाइक सवार कुछ अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से समझ पाता तबतक उसकी बाइक उसे मेरठ रेफर कर दिया.

ये है मामला

मेरठ के कांच का पुल निवासी हालत में कस्बे के निजी अस्पताल शावेज पुत्र आफताब बाइक पर सवार में भर्ती कराया. युवक को गंभीर पर आवारा पशु से टकराकर गंभीर

सांड से टकरा गई और युवक सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने युवक को गंभीर

ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी

वहीं, करीब पांच माह पूर्व भी सरूरपुर थाने से लिसाडीगेट थाने में ड्यूटी पर जाने को निकले एक सिपाही की आवारा पशु से टकराने से मौत हो गई थी. जबकि दो माह पूर्व भी एक होमगार्ड सडक

कि मामला जानकारी में नहीं है. बीडीओ

को आवारा पशुओं को पकडवाने को

अभियान चलाने के निर्देश दिए जाएंगे.

सामने मेरठ मार्ग पर बाइक सवार हो कर किसी काम से सरधना आ रहा युवक पशु से टकरा कर गंभीर रूप था. मिंद्र्याई गांव के सामने पहुंचने रेफर कर दिया. पर अचानक सड़क पर बेसहारा सांड घूम रहे ने आवारा पशुओं को पड़कर 🛮 MAWANA (7 Dec, JNN): नगर में 🌣 करते हुए फरार हो गए. दो छात्र गुरुवार 🗡 मारपीट से वहां अफरा–तफरी मच गई गोशाला भिजवाने की मांग कर चुके है. मिल रोड पर गुरुवार सुबह को वर्चस्व को लगभग 11 बजे मिल रोड की ओर इस दौरान काफी देर तक किसी ने भी लेकिन, कोई समाधान नहीं हो पाया है. को लेकर दो छात्र गुटों में मारपीट हो से लौट रहे थे. इसी बीच आए छात्र उनका बीच बचाव नहीं कराया. इस

एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर ने बताया पई, जिसमें लात-घुंसे व बेल्ट चली. सरे से उनकी किसी बात पर कहासुनी हो राह मारपीट से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन राहगीरों व पुलिस के पहुंचने पर फोन करके वहां बुला लिया. उसके बाद

गई. अकेले पड़े छात्र ने साथियों को भी किसी मामले की जानकारी नहीं है. छात्र एक दूसरे को धमकी देकर फायर दोनों गुटों में लात-घूसे चले. सरेराह

बीच पुलिस पहुंच गई लेकिन वह पहले ही फायर करते हुए फरार हो गए. उधर थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने कहा ऐसे



प्तार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर. इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**'छूट पत्र 3'')** और कोई भी भविष्य की छूट जो सेवी से प्राप्त हो सकती है (**''छूट पत्र'')** और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इ<mark>विवटी शेयरों की डीलिस्टिंग)</mark> विनियम, 2021 (**''डीलिस्टिंग विनियम'') (''डीलिस्टिंग प्रस्ताव'' या ''डीलिस्टिंग ऑफर'') के प्रावधान।**

.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार **('जीओओई')**, भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भूगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिग्रह किया गया है; 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई. 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यवत करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इविवटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक ०९ फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

ii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम")**; के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और

विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभति काननों के लाग प्रावधानों का अनपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

।.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधत्व करने वाले

53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में। 1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक

आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

1	समाचार पत्र	भाषा	संस्करणाँ	i II
	द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय	i II
	जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय	i II
	दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर	i II
	दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर	i II
	दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	i II
	विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक	
	संदेश	गुजराती	गुजरात	i II -
١	दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड	i II
	लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र	i II
	पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र	i II
١	बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल	i II
	तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	i II -
	हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु	i II
	केरल कौमडी	मलयालम	केरल	i II
	विजयवाणी	कन्नडा	कर्ताटक	i II

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही. उसी पत्र के माध्यम से. एमएचआई ने कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के डिक्टरी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजरी दे दी 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी। 3. सेबी छट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/ CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइन्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी,

जो मानदंडों को परा करती थी. हालांकि भगतान किया गया था। शेयर पंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनयमों के विनयम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी। 3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मुल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मुल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सुचित करता है और द्रीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमित मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजिनक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औद्यावर शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित

के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी। 3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार

करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था। 3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेवरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें: और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इंक्विटी शेयरों में विभाजित है

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्किटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्किटी शेयर बीएसई पर सुचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सिर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर स्वियू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सुचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इविवटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मुल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा 6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **("एस्क्रो राशि")**।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एविसस बैंक लिमिटेड ("एस्**क्रो बैंक")** और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बेंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छूक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कृरियर द्वारा (अपने

जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस्ने-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात ऑफर अवधि क

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और 8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सुचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं. लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्किटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011
·	

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है. तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर . इक्किटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्किटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य

इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। i. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के राजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां); iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं,

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना इस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्किटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्किटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का परा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। 8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के राजस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से

'स्कटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'' लिखा होगा। 8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती

है. तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। ह ३.१ जब सार्वजनिक शेरमधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्जी धारकों ("पीओए धारक") दारा दिवारी शेरमों की पेऽ

के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक पति भी पदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है। 8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लाग हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

४.४. सावजानक रावरवारका स अनुराव ह कि व आवदन पत्र के साथ, जर	ના ભાગુ કા, નાથ ડાલ્લાહાલ વસ્તાવર્ષ ખેતા કરા
श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वाग हस्ताक्षारित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षारत है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवंदन पत्र विभिन्नत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिन्नत निष्पादित डिलोनरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉनिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिन्नत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3 कॉपींटर पाधिकरण / बोर्ड संकल्य।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की ऑतम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबंधित कर सकते हैं।



डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435 वैधता अवधि: स्थायी

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

निरंतर

Know your worth, even if it gets lonely.@JDaley·

भूमिगत केबिल कटा माध्यमिक विद्यालयों में भी टीएलएम से पढ़ाई सुराग तलाशने गई टीम

VARANASI (08 Dec): सारनाथ तिराहे पर जेसीबी मशीन से खोदाई की में प्रो पुअर के तहत सीवर लाइन के जा रही थी. उपखंड अधिकारी एमके लिए खोदाई के दौरान गुरुवार सुबह सारनाथ रेलवे स्टेशन तिराहे के पास भूमिगत 11 हजार लाइन की केबिल कट गई. इससे अटल नगर फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. बिजली विभाग के लोगों ने दूसरे फीडर से आपूर्ति बहाल की. सारनाथ में केके

कंस्टक्शन की ओर से स्टेशन मार्ग स्थित

गप्ता ने कार्यदायी संस्था के अवर अभियंता वकील अंसारी को इसकी जानकारी दी. कार्यदायी संस्था ने शाम तक नई केबल लगा कर इसे दुरुस्त किया. बुधवार को भी कार्यदायी संस्था द्वारा आकाशवाणी तिराहे पर सड़क खोदाई करते समय अटल नगर कालोनी की 11 हजार वोल्ट केबिल कट गई थी.

राज्य हिंदी संस्थान को टीचिंग लर्निग मेटेरियल बनाने की जिम्मेदारी

VARANASI (08 Dec): अब माध्यमिक विद्यालयों स्तर के विद्यार्थियों को भी टीचिंग लर्निंग मेटेरियल (टीएलएम) के माध्यम

का टीएलएम बनाने की जिम्मेदारी वाराणसी के राज्य हिंदी संस्थान को सौंपी है. वाराणसी सहित छह जिलों के अध्यापक टीएलएम को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं ताकि इसके आधार पर टीएलएम की पुस्तक बनाई जा सके. इस पुस्तक से यूपी बोर्ड में अध्ययनरत कक्षा नौ से 12 तक सुबे के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा.

के मुताबिक ने बताया कि अक्टूबर माह में हिंदी विषय का टीएलएम बनाने के में आयोजित कार्यशाला में वाराणसी लिए प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता कराई के अलावा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गई थी. इसमें व्याकरण की अवधारण, गाजीपुर, मीरजापुर, जौनपुर के गद्य साहित्य की विधाएं व पद्य साहित्य शिक्षक शामिल है. इसमें मुख्य रूप का इतिहास से संबंधित 64 टीएलएम से डा. दीपा द्विवेदी, अमरेंद्र मिश्र, डा. चुने गए. इसमें कई महत्वपूर्ण प्वांइट अर्पणा श्रीवास्तव, अराधना उपाध्याय, छुट गए थे. इसे देखते हुए कार्यशाला मनोज यादव सहित 17 अध्यापक

संस्थान के निदेशक ऋचा जोशी रहा है. प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी अवधेश कुमार के नेतृत्व आयोजित कर इसे पूर्ण कराया जा शामिल है.

मसाला फैक्ट्री के वाहन चालक और (बडागांव) निवासी राजकुमार और सेल्समैन पर फायरिंग कर लूट के प्रयास की घटना का सुराग तलाशने पुलिस की दो टीम अयोध्या गई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. पुलिस के अनुसार गोइठहां में प्रेमचंदनगर कालोनी (पांडेयपुर) निवासी शशिकांत पांडेय की पान मसाला फैक्टी है. यहां से पान मसाला

सेल्समैन आशापुर (सारनाथ) निवासी प्यारेलाल लेकर मंगलवार को अयोध्या गए थे. वहां माल उतारने के बाद वसूली के सात लाख 35 हजार रुपये लेकर लौटे थे. डीसीएम को फैक्ट्री में फैक्ट्री मालिक के घर के लिए निकल था. उसके पीछे बाइक से सेल्समैन प्यारेलाल भी था.



सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - २२६०१०, भारत; दूरभाष. नंबरः ०५२२-३१७८५०;

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("प्रबंधक") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है जिसका प्रतिनिधित्न श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") कर रहे हैं। (इसके बाद "अधिग्रहणकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इविवटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं, और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "स्टॉक एक्सचेंज") से इविवटी शेयरों को सूचीबद्ध करना. एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इविवटी शेयर वर्तमान में सचीबद्ध हैं. एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर. इसके अनसार और में भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छट का अनपालन SEBI/HO/ CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("छूट पत्र 1") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("छूट पत्र 2") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**''छूट पत्र 3'')** और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**''छूट पत्र'')** और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 (**''डीलिस्टिंग विनियम'') (''डीलिस्टिंग प्रस्ताव'' या ''डीलिस्टिंग ऑफर'') के प्रावधान।**

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पष्ठभमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार ('जीओआई'), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सचना दी। इसके अलावा. भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्किटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिग्रह किया गया है; 1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुवित के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन ९ के प्रावधानों के अनुसार,

अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया; 1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार

कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है। 1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यवत करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषण **(''आईपीए'')** की गई थी। लागू कानुन के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.S. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मुल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी। 1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

i. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

ii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजुरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम")**; के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोडकर प्रतिभति काननों के लाग प्रावधानों का अनपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

।.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्किटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53.48.226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इंक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक

आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही है:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया है:

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("एमएचआई"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजुरी दे दी। 2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये हैं, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिम्टिंड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मुल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी। 3. सेबी छुट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

3.1. सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021, SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 और SEBI/HO/ CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार है:

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। 3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ऑ) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिश्ट तरीके से न्यूनतम

सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनपालन करने की आवश्यकता होती है। 3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभृतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिग्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः 3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम ८ के उप-विनियम (2) के

खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी। 3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमित में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धित के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे. जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इकिवटी शेवरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेवरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडों के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनवर्ती संचार भेजें और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार है:

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255	100.00
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	8,72,72,255	100.00	8,72,72,255	100.00

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्किटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएन: 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयरे के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर ग्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशन्ल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इविकटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के

प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के सेंदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा। 5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और खूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मृल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR

है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्टाईस पैसे मात्र) **(''एस्क्रो राशि'')**। 7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("एस्**रको बैंक**") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक

एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बेंक की लखन्क शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्टाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है। 🛿 डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इविवटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने

जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेशियल सर्विसेज

प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और 8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटएफॉइल / फोटोकॉपी. जैसा कि यहां बताया गया है:

. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से. ऑफ-मार्केट मोड में. डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा. जिसका विवरण इस प्रकार है.

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडीं :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्ट

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्किटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है. तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्किटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रॉजस्ट्रार के पास पहुंच जाए। v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य

इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे। vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो,

और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाथाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

ix. यदि आपको अपने इक्किटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से 'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजिनक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इंक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मल शेयर प्रमाणपत्र(ओं):

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक 1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए:

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं; v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के राजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा

करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एके शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज: वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट; vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के राजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों (शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्कुटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" लिखा होगा। 8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्किटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉपेरिट, वैथानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए। 8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमित की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमित जमा नहीं की जाती

है. तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें। ९ ३.1 जब सार्वजनिक शेयरभारकों की ओर से पावर ऑफ अर्टोर्जी भारकों ("पीओए भारक") दारा देक्वरी शेयरों की पेशकश की जा रही है के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए. यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ. जैसा लाग हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	 1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पदित डिलीवरी अनुदेश पची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

नारी ख
023

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है। (*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है. जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः ३/४८१, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490 10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं. तो वे इसे ऑफर के रजिस्टार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।



डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत संपर्क व्यक्तिः सश्री अंजिल अग्रवालः फोनः 011-40622230/40622209 ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508



स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

निरंतर